प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2098/2002

याचिकाकर्ता : नवदीप इंडस्ट्रीज,

पंजीकृत कार्यालय : बस्सी रोड,

सरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब,

(पंजाब) 140406।

प्रबंधक द्वारा नवदीप इंडस्ट्रीज,

बस्सी रोड, सरहिंद 140406

बनाम

उत्तरवादी : 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा–

प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी

विभाग छत्तीसगढ़ ,

मंत्रालय, डी.के. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

द्वारा : अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के

तहत रिट याचिका

1. याचिकाकर्ता का विवरण

जैसा कि वाद शीर्षक में उल्लिखित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर,

(युगल पीठ)

कोरम : माननीय श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधिपति

एवं माननीय श्री वी. के. श्रीवास्तव, न्यायाधिपति

रिट याचिका संख्या 2098 सन् 2002

नवदीप इंडस्ट्रीज

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1/राज्य की ओर से श्री एन.के. अग्रवाल, उपमहाधिवक्ता के साथ श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से श्री आर. आर. सिन्हा, अधिवक्ता।

आदेश

(29 मार्च 2005)

न्यायाधिपति ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

याचिकाकर्ता पंजाब के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत एक लघुउद्योग है और पंजाब राज्य में ड्रिलरॉड सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण करता है तथा 1972 से दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स/उत्तरवादी संख्या 2 को मध्यप्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, में ऐसी ड्रिलरॉड की आपूर्ति कर रहा है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (संक्षेप में "अधिनियम, 1976") के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में ड्रिलरॉड के ऐसे प्रवेश पर कोई प्रवेश कर देय नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा, अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया ताकि "ड्रिलरॉड" को अधिनियम 1976 की अनुसूची III में शामिल किया जा सके। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निर्मित ड्रिलरॉड पर कर योग्य मात्रा पर 10% की दर से प्रवेश कर देय हो गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त संशोधन को, जहां तक इसमें अधिनियम 1976 की अनुसूची III में "ड्रिलरॉड" को शामिल किया गया है, संविधान के अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की प्रार्थना की है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब कि याचिकाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निर्मित और उत्तरवादी संख्या 2 को आपूर्ति की गई ड्रिलरॉड पर प्रवेश कर देय है। छत्तीसगढ़ राज्य, कोरबा में स्थित एक स्थानीय उद्योग द्वारा निर्मित ड्रिलरॉड पर कोई प्रवेश कर देय नहीं है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इसलिए, आपेक्षित संशोधन भेदभाव पूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लंघन करता है जो किसी राज्य के विधानमंडल को कर लगाते समय राज्य के भीतर आयातित वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं के बीच भेदभाव करने से रोकता है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जो श्री महावीर ऑयल मिल्स एंड अनदर बनाम, जम्मू और कश्मीर राज्य और [(1996) 11 सर्वोच्च न्यायालय केस-39] में प्रतिवेदित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जम्मू और कश्मीर जनरल सेल्स टैक्स, 1962 के तहत खाद्य तेल पर

कर से छूट, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर उत्पादित और बेचा जाता था, जबकि जम्मू और कश्मीर के बाहर उत्पादित ऐसा खाद्य तेल उक्त अधिनियम के तहत कर योग्य था, भेदभाव पूर्ण था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लंघन करता था।

(3) श्री एन. के. अग्रवाल, विद्वान उप–महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, दूसरी ओर, उत्तरवादी द्वारा दायर रिटर्न के पैराग्राफ 8 में दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए, तर्क प्रस्तुत किया कि कोरबा में स्थानीय उद्योग यानी माइनिंग मशीन टूल्स द्वारा उत्पादित ड्रिलरॉड पर प्रवेश कर देय नहीं हो सकता है, जब इसके द्वारा उत्पादित ड्रिलरॉड का उपभोग और कोरबा के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किया जाता है; लेकिन यदि इसके द्वारा उत्पादित ड्रिलरॉड का उपभोग और बिलासपुर के स्थानीय क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को उपयोग किया जाता है तो प्रवेश कर देय होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तर्क कि कोरबा में स्थानीय उद्योग यानी माइनिंग मशीन टूल्स छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति की गई ड्रिलरॉड पर प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने अधिनियम 1976 के प्रावधानों पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अधिनियम 1976 की धारा 2 के खंड (द) और (ई) और धारा 3 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

"2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, –

(द) 'स्थानीय क्षेत्र' का अर्थ एक स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर समाहित क्षेत्र है,

(ई) 'स्थानीय प्राधिकरण' का अर्थ स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित कानून के तहत गठित एक प्राधिकरण है लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा। जनपद पंचायत, एक जिला पंचायत, एक मंडल पंचायत या ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

3. कराधान की घटना – (1) एक प्रवेश कर लगाया जाएगा, –

(क) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के किसी व्यापारी द्वारा व्यवसाय के दौरान प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए प्रवेश पर; और

(ख) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के किसी व्यापारी द्वारा व्यवसाय के दौरान प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए, लेकिन बिक्री के लिए नहीं, प्रवेश पर: और ऐसा कर वाणिज्यिक कर अधिनियम के तहत करके लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसने ऐसी वस्तुओं का प्रवेश कराया है;

(5) अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) (ख) के स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट होगा कि प्रवेश कर अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के किसी व्यापारी द्वारा व्यवसाय के दौरान प्रत्येक "स्थानीय क्षेत्र" में उपभोग या उपयोग के लिए, लेकिन बिक्री के लिए नहीं, प्रवेश पर लगाया जाना है। "स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति को अधिनियम 1976 की धारा 2 (घ) में एक स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाहित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और "स्थानीय प्राधिकारी" अभिव्यक्ति को अधिनियम 1976 की धारा 2 (ई) में स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित कानून के तहत गठित प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका परिणाम यह है कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के किसी व्यापारी द्वारा व्यवसाय के दौरान प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए, लेकिन बिक्री के लिए नहीं, प्रवेश पर ऐसी वस्तुएं अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) (ख) के तहत प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी होंगी। अतः, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर का यह तर्क कि छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित वस्तुएं अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) के तहत प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी, सही नहीं है। एक ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग या उपयोग के लिए निर्मित और आपूर्ति की गई वस्तुएं अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) (ख) के तहत प्रवेश करके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन यदि ऐसी वस्तुएं एक स्थानीय क्षेत्र में निर्मित होती हैं, और दूसरे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए आती हैं, तो वे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) (ख) के तहत प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी होंगी। इसका अर्थ यह होगा कि कोरबा के स्थानीय क्षेत्र में निर्मित वस्तुएं प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी होंगी। यदि यह कोरबा के स्थानीय क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। कि यह अधिनियम 1976 का प्रावधान है, इसलिए आपेक्षित संशोधन द्वारा ड्रिलरॉड को अधिनियम 1976 की अनुसूची III में शामिल करने में कोई भेदभाव नहीं है।

(6) श्री वी. जी. तमास्कर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यद्पि दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड/ उत्तरवादी संख्या 2 को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कई वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, लेकिन आपेक्षित संशोधन द्वारा केवल ड्रिलरॉड को अधिनियम 1976 की अनुसूची III में शामिल करने के लिए चुना गया है ताकि उन्हें कर योग्य मात्रा का 10% प्रवेश करके लिए उत्तरदायी बनाया जा सके और इसलिए आपेक्षित संशोधन भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) श्री एन. के. अग्रवाल, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने, दूसरी ओर, प्रस्तुत किया कि आपेक्षित संशोधन से पूर्व अनुसूची I और II में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं अनुसूची III में शामिल थीं और कर योग्य मात्रा का 1% प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी थीं और इसलिए, ड्रिलरॉड, जो अधिनियम 1976 की अनुसूची I और II में शामिल नहीं थी, वह भी कर योग्य मात्रा का 1% प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन आपेक्षित संशोधन द्वारा ड्रिलरॉड के साथ–साथ केबास्केट और पी.वी.सी. केसिंग पाइप को कर योग्य मात्रा का 10% प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी बनाया गया है और संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।

(8) मैसर्स ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य [एआईआर 1962 एससी 1733] में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है:

"यह आपेक्षित नहीं है कि कराधान कानूनों को भी अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यह इस न्यायालय द्वारा कुन्नाथट थातुन्नी मुपिल नायर बनाम केरल राज्य,

[एआईआर 1961 एससी 552] के मामले में हाल ही में निर्धारित किया गया है। लेकिन यह तय करते समय कि कराधान कानून मनमाना है या नहीं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को उन व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन करने में व्यापक विवेक प्राप्त है जिन पर वह कर लगाएगा, और यह कि एक क़ानून इस आधार पर हमला करने योग्य नहीं है कि वह कुछ व्यक्तियों पर वस्तुओं पर कर लगाता है और दूसरों पर नहीं। यह केवल तभी होता है जब अपने चयन के दायरे में, कानून असमान रूप से संचालित होता है और इसे किसी भी वैध वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह संविधानिक कानून" पर विलिस में कानून का निम्नलिखित कथन, पृष्ठ 587, हमारे संविधान के तहत कराधान कानूनों के संबंध में स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत करेगा:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"किसी राज्य को हर चीज पर कर लगाने के लिए हर चीज पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसे जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि कराधान की दरों को चुनने और चुनने की अनुमति है यदि वह ऐसा उचित रूप से करता है .... सर्वोच्च न्यायालय व्यावहारिक रहा है और उसने कराधान के लिए वर्गीकरण में बहुत व्यापक स्वतंत्रता की अनुमति दी है।"

(9) अतः, छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य विधायिका के लिए बेंत की टोकरी, ड्रिलरॉड, पी.वी.सी. के सिंग पाइप को कर योग्य मात्रा के 10% की उच्च दर पर कर लगाने के लिए चुनना खुला था और यह तथ्य कि विधायिका ने छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति की गई अन्य वस्तुओं को कर योग्य मात्रा के 10% की दर से प्रवेश कर के अधीन नहीं किया है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि आपेक्षित संशोधन भेदभावपूर्ण है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ड्रिलरॉड को कर योग्य मात्रा के 10% की दर से प्रवेश कर लगाने के लिए वस्तुओं के एक वर्ग के रूप में माना गया है। अतः, स्थानीय क्षेत्र में

किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रिलरॉड का प्रवेश बिना किसी भेदभाव के कर योग्य मात्रा के 10% की दर से कर के अधीन है। इसलिए, आपेक्षित संशोधन को भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर द्वारा हमारे समक्ष कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया है, हम मानते हैं कि इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। और हम इसे खारिज करते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

हस्ताक्षर/–
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – Pritika Pandya